मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 द्वारा यमुना नदी, 21/2, ग्राम ढकरानी, तहसील–विकासनगर, जिला देहरादून में लघु खनिजों के संग्रहण हेतु दिनांक 12.09.2025 (प्रातः 11.00 बजे), स्थान परियोजना स्थल के समीप ग्राम ढकरानी में पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 द्वारा **यमुना नदी, 21/2, ग्राम ढकरानी (क्षेत्रफल–17.0 हे0)** में लघु खनिजों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 (यथासंशोधित 2009) के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 (यथासंशोधित 2009) के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में **ग्राम ढकारानी, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून** में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री एस0एस0 चौहान (सहायक वैज्ञानिक अधिकारी) व श्री दीपेन्द्र भट्ट (अनुश्रवण सहायक) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के प्रतिनिधि श्री एस0एस0 चौहान, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 द्वारा यमुना नदी, 21/2, ग्राम ढकरानी में लघु खनिजों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व **दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण (उत्तराखंड संस्करण) एवं हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली संस्करण) के दिनांक 15.08.2025** के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आक्षेप मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से लिखित व मौखिक रूप से रख सकते हैं, जिसे संकलित कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि जन समुदाय के विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्षा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इसके उपरान्त में मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 के पर्यावरणीय परामर्शी संस्था मै0 **एजिस एनवायरनमेंट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड की प्रतिनिधि श्री पार्थ** द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 17.0 हे0 है, जो कि **ग्राम ढकरानी, तहसील–विकासनगर, जिला देहरादून** में स्थित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 को लीज पर दिया गया। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु खनिजों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु खनिजों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि तीन मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना में खनन कार्य पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके किया जायेगा। श्री पार्थ द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जायेगा एवं प्रस्तावित पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से बजट का प्राविधान किया गया है, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **मो0 शाहरूख, वार्ड नं.–11, ग्राम–ढकरानी, विकासनगर, देहरादून** द्वारा प्रश्न किया गया कि प्रतिवर्ष वृक्षारोपण प्रस्ताव के अनुसार किया जायेगा या नही तथा प्रति वर्ष कितने पौधें रोपे जायेंगे? प्रस्तावना में उल्लेखित प्राथमिक विद्यालय को आवंटित मद पट्टाधारक द्वारा प्रतिवर्ष दिया जायेगा या नहीं? यह स्पष्ट नहीं है।

2. **मो0 अतीक अहमद, ग्राम–ढकरानी, विकासनगर, देहरादून** द्वारा कहा गया कि खनन मार्ग हेतु प्रयुक्त पुल बन्द है फिर आवंटित पट्टा धारक द्वारा खनन का परिवहन किस मार्ग से किया जायेगा। खनन सामग्री के परिवहन हेतु पुल को खोला जाये या फिर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाये, जिससे कि खनन कार्य सुचारू रूप से हो सके।

3. **मो0 बिलाल साह (ग्राम पंचायत सदस्य),ग्राम–ढकरानी, विकासनगर, देहरादून** द्वारा कहा गया कि पुल बंद होने से खनन कार्य से सम्बंधित व्यक्तियों को भारी नुकसान हो रहा है, यदि पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य आरम्भ करना है तो खनन स्वीकृति से पूर्व पुल को खोला जाये जिससे खनन परिवहन सुचारू रूप से हो सके, क्षेत्र में अधिकतर लोग खनन प्रकिया से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, खनन न होने से ग्रामीणों को वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। खनन से स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

4. **श्री यामीन (प्रधानपति), ग्राम–ढकरानी, विकासनगर, देहरादून** द्वारा कहा गया कि पुल पर खनन सामग्री परिवहन कर रहे वाहनों को रोका जाता है तथा पुल खनन वाहनों हेतु बन्द किया गया है, जिसे शीघ्र ही खोला जाये, जिससे खनन सामग्री परिवहन कर रहे वाहनों की आवाजाही हो सके तथा स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 के प्रतिनिधि श्री प्रदीप रावत द्वारा कहा गया कि नदी के किनारों से 10 मीटर छोड़कर नदी के बीच में खनन कार्य किया जायेगा। खनन में निजी भूमि को नहीं लिया गया है। खनन कार्य राजस्व भूमि पर ही किया जायेगा। नदी में 17.0 हे. क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा। खनन कार्य दिन के समय किया जायेगा। भूमि को कटाव से बचाने हेतु पॉच साल में कुल 17,000 पौधों से वृक्षारोपण किया जायेगा, वृक्षारोपण ग्राम सभा के सुझाव के अनुसार किया जायेगा। श्री रावत द्वारा कहा गया कि प्राथमिक विद्यालय, ग्राम ढकरानी, हेतु आवंटित मद फर्नीचर हेतु पॉच वर्षों में एक बार ही दिया जायेगा। मै0 कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल0एल0पी0 के प्रतिनिधि द्वारा आश्वस्त किया गया कि पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो।

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदया की अनुमति से लोक सुनवाई की कार्यवाही के समापन की घोषणा की गयी। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटोग्राफ
2. पैन ड्राइव
3. उपस्थिति पंजिका

(एस0एस0 चौहान)
सहा0वैज्ञा0अधिकारीच
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून

(स्मृता परमार)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
देहरादून

Date ....

आज दिनांक 12.9.2025 को मै० कैलाश रिवर बैड मिनरल्स एल० एल०पी० द्वारा ग्राम ढकरानी यमुना नदी के खसरा नं० 21/2 से रेता बजरी एवं बोल्डर (कुल क्षेत्रफल 17.0 हैक्टेयर) के खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई की उपस्थिति का विवरण.

क्रम सं०	नाम	विभाग / गाँव का नाम	मो० नं०	हस्ताक्षर
1	स्मृता परमार	विरोध भूमी अध्यक्षपति समिति देहरादून	8979662877	
2.	कुन्दरसिंह चौहान	सहायक वैज्ञानिक अधि० यू०के०प०नि०बो० देहरादून	9719034547	[signature]
3.				
4.				
5	श्री यामिन	प्रधान पति ग्राम ढकरानी	8445857506	[signature]
6.	शाहजब	ग्राम ढकरानी	9760969638	[signature]
7.	इस्लाम	ग्राम ढकरानी	9027920875	इस्लाम
8.	सुफयान		783006922	सुफयान
9.	जुलकार	ढकरानी	9439402536	जुलकार
10.	मोहसीन	ग्राम ढकरानी	9760195990	मोहसीन
11.	अमजद	ग्राम ढकरानी	8954178547	अमजद

Date ---------------

13	ANISH RAO	9997492166	[illegible]
14 शाहिद	ढकरानी	~~9817841~~ 9817488738	शाहि
15 साकिब	ढकरानी	7895904810	साकि
16 आरिफ	खान - ढकरानी	7300617064	[illegible]
17 गुलफाम अली	ढकरानी	8954982917	गुलफाम
18 मो० मेहरबान	ढकरानी वार्ड नं. 12	7466852568	[illegible]
19 मो जावेद	ढकरानी वार्ड नं.12	8171988713	जावेद
20 प्रदीप	ग्राम ढकरानी	8099357890	प्रदीप
असलम	ग्राम ढकरानी	8077701529	असलम
साबिर	ढालीपुर	9520490564	साबिर
मुन्तजीर	ढालीपुर	8941951498	मुन्तजीर
मुस्तकीम	ढालीपुर	8656157494	मुस्तकीम
मुजम्मिल	ढालीपुर	9368766830	मुजम्मिल
शाहिद	ढकरानी	9817488738	शाहिद
शाहिल	ढकरानी	9259167275	शाहिल
~~[illegible]~~			
नासिर	ढकरानी	7500983021	नासिर
शहजाद	ढकरानी	9045427269	शहजाद
आदिल	ढकरानी	7389092289	Aadil
साहिल	ढालीपुर	9520568519	[illegible]
माइनुद्दीन	ढालीपुर	9520558519	[illegible]